पत्र संख्या-ओ० एम०/आर 1-092/83-09

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति प्र०)

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 21 जनवरी, 84

विषय :- पदाधिकारियों की बुधवारी बकाया सूची ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि ऐसा पाया जा रहा है कि सचिवालय प्रशासन में दक्षता एवं चुस्ती का ह्रास होता जा रहा है । प्रत्येक स्तर पर विलम्बकारी प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हो रही है जो सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय है ।

2. काम-काज के निष्पादन में विलम्ब को रोकने के लिए जो विभिन्न अनुदेश समय-समय पर निर्गत किये गये हैं उनमें साप्ताहिक बुधवारी बकाया सूची को तैयार तथा संगठन एवं पद्धति शाखा को प्रेषण एक महत्वपूर्ण अनुरोध इस बकाया सूची के नियमित उपस्थापन एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की व्यवस्था सचिवालय अनुदेश के नियम 5.2 (7) में विहित है । इसके अनुसार प्रत्येक माह की प्रथम बकाया सूची (जिसे महीने के प्रथम बुधवार को तैयार करनी है) को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ संगठन एवं पद्धति शाखा में अनुवर्ती शनिवार को भेज देना है ।

3. सुलभ प्रसंग हेतु इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत किये गये परिपत्र संख्या-247 दिनांक 6-5-73, संख्या-536 दिनांक 14-8-75 तथा संख्या 481 दिनांक 16-7-77 की प्रतिलिपियाँ संलग्न की जा रही हैं ।

4. यह देखने में आ रहा है कि विभागों द्वारा बुधवारी बकाया सूची सम्बन्धी अनुदेशों के अनुपालन में ढिलाई बरती जा रही है । सचिवालय अनुदेश के विहित प्रावधान एवं इस बिन्दु पर निकाले गये परिपत्रों के बावजूद भी बहुत-से विभागों को अबतक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस प्रकार बुधवारी बकाया सूची संगठन एवं पद्धति प्रशाखा

में भेजना है । प्रपत्र संशोधित किये जा चुके हैं फिर भी पुराने प्रपत्र में ही सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं । सूची की तैयारी में सावधानी नहीं बरती जाती है और न तो इनकी शुद्धता की ओर ही कोई ध्यान दिया जाता है । विभागों द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा का भी ख्याल नहीं किया जाता और न तो किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर ही पाया जाता है । बहुत-से विभागों द्वारा भेजा ही नहीं जाता और या प्रेषण प्रपत्र अनियमित हो गया है ।

5. उक्त के प्रसंग में सबसे मुख्य बात यह है कि प्रतिवेदन एवं विवरणियों को उपलब्ध कराने में निर्धारित समय-सीमा पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए । विहित समय के बाद भेजे जानेवाले प्रतिवेदन एवं विवरणियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है और इसमें निहित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है ।

6. मुख्य सचिव ने स्थिति में अविलम्ब सुधार की अपेक्षा की है । पूर्व के अनुदेशों को दुहराते हुए अनुरोध करना है कि इस सन्दर्भ में उक्त परिपत्रों द्वारा परिचारित निदेशों एवं सचिवालय अनुदेश में विहित प्रावधान पर ध्यान रखते हुए पदाधिकारियों की बुधवारी बकाया सूची पुनरीक्षित प्रपत्र में, पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ विहित समय के अन्दर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें । प्रपत्र की प्रति भी अनुलग्न है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- सुरेन्द्र प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या-10/परी.-907/81 का०-1018

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री मंत्रेश्वर झा,

आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची ।

दिनांक 11-10-83

विषय :- वर्ष 1962 से विभिन्न स्त्रोतों से नियुक्त अस्थायी सहायकों का स्थायीकरण-पटना उच्च न्यायालय मुकदमा संख्या-1276/81, 1521/81, 1707/81, 2686/81 तथा 2814/81 ।

महाशय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-629 दिनांक 14-7-81 के प्रसंग में कहना है कि पटना उच्च न्यायालय में उक्त मुकदमों में फैसला देते हुए निम्नांकित मंतव्य के साथ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है :-

"47. On the strength of the principle laid down in these cases, my concluded opinion is that the resolution dated 30.3.81 of the State Govt. does not call for any interference as the same cannot be held to suffer from unreasonableness, arbitrariness or any other legal infirmity. I would like to add that the right that has accrued to the employees of the first category should be safeguarded whenever there is any occasion for promotion to the higher post. All other factors being equal the L.D. Assistants appointed on the basis of their success in the examination held in the year 1973 should receive due recognision in determining rules of seniority as between persons recruited from other sources.

48. In the result, all the writ petitions are dismissed, but in the circumstancs of the case there will be no order as to costs."

Hari Lal Agarwal, J.– "I have gone through the judgement prepared by my learned Brother K. B. Sinha and I agree with him that interfering with the impugned resolution dated 30.3.1981 would cause more complications and injustice to a large number of Assistants working in the various departments of the State of Bihar, and would unsettle many things settled since quite a long time. The applications must, therefore, be dismissed."

इस तरह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 257 दिनांक 30-3-81 को उच्च न्यायालय द्वारा वैध करार दिया गया है ।

अतः परिपत्र संख्या का. 628 दिनांक 14-7-81 द्वारा इस संकल्प के अनुपालन पर जो रोक लगायी गयी थी उसे वापस लिया जाता है । आपसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प में लिये गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-मंत्रेश्वर झा

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-ओ. एम./आर 3-02/83-275/ओ. एम.

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति प्र०)

प्रेषक,

श्री मन्त्रेश्वर झा, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/विशेष सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 17 सितम्बर, 83

**विषय :- संचिकाओं का तीन दिन में निष्पादन ।**

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य के प्रशासनिक ढाँचे को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों में सभी स्तरों पर संचिकाओं का निष्पादन समय पर और शीघ्रता से हो ।

2. सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में पुनः यह निर्णय लिया है कि तीन दिनों के भीतर संचिकाओं के निष्पादन के लिए जो-जो निदेश है उनका कार्यान्वयन दृढ़तापूर्वक किया जाय । इसके प्रसंग में कार्मिक एवं प्र० सुधार विभाग के द्वारा परिपत्र संख्या-ओ. एम./आर.-01/79-75, दिनांक 16-2-79, सी. एस. 03/एम.-017/80-2800, दिनांक 2-8-80 तथा ओ. एम./एम 1-040/80-429, दिनांक 13-12-80 द्वारा अनुदेश सभी विभागों को पूर्व में परिचारित किया जा चुका है ।

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि तीन दिनों के बाद जो संचिकाएं निष्पादित की जायं उनमें टिप्पणियां लाल रंग की स्याही से अंकित की जाय अथवा टिप्पणी देनेवाले पदाधिकारी लाल रंग की स्याही से विलम्ब के लिए संक्षिप्त स्पष्टीकरण दें एवं हस्ताक्षर करें ।

4. अतः उक्त के प्रसंग में सरकार द्वारा निर्गत प्रासंगिक परिपत्रों एवं आदेशों की एक-एक प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा इस सरकारी आदेश का जो भी उल्लंघन करे उनपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- मन्त्रेश्वर झा

आयुक्त एवं सचिव ।

---

पत्र संख्या- का०-6838

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 1 जुलाई, 1983

विषय :- पैंतीस साल तक उम्र की विधवाओं एवं उनसे विवाह करने वाले पैंतीस साल तक उम्र के पुरुषों को सरकारी सेवा में नियुक्ति में वेटेज ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि विधवाओं की अत्यन्त दयनीय स्थिति को देखते हुए समय-समय पर सरकार द्वारा इनके उन्नयन हेतु सुविधाएं दी गई है । पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत यह प्रयास किया गया कि उन्हें राहत दी जाए, पर यह महसूस किया जा रहा है कि अभी तक दी गई सुविधाओं के बावजूद इनका समुचित उन्नयन नहीं हो पाया है ।

2. अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 35 वर्ष की विधवओं को अथवा उनसे विवाह करने वाले 35 वर्ष तक के पुरुषों को वर्ग-3 और 4 के पदों पर नियुक्ति में वेटेज दी जाय । यह सुविधा अन्तर्जातीय विवाह के लिए भी दिये जायेंगे ।

विश्वासभाजन,
ह०/- अशोक कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-का.-6838 पटना-15, दिनांक 1 जुलाई, 1983 ।

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- अशोक कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

---

पत्र संख्या-4714 का०

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 5 मई, 1983 ।

विषय :- सरकारी सेवकों द्वारा स्वेच्छा से "उपनाम" के प्रयोग नहीं करने पर सरकार द्वारा प्रशंसित किये जाने एवं उक्त प्रशंसा को सम्बन्धित सरकारी सेवक की चरित्र-पुस्ति में दर्ज किये जाने, नियुक्ति आवेदन पत्र में, शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए आवेदन पत्र में तथा परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में उपनाम का प्रयोग नहीं करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

ऐसा महसूस किया गया है कि बिहार राज्य के विकास में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था एवं तत्सम्बन्धी जातिगत चेतना बहुत बड़ी बाधा हो सकती है जिसका कुप्रभाव दिन-प्रतिदिन के सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यों में परिलक्षित हो सकती है । सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है कि संविधान की मंशा के अनुरूप जाति व्यक्ति विशेष के विकास और राज्य के कार्यों में बाधक न हो । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु सरकार ने पूर्व में लिये गये निर्णयों के अलावे इधर हाल में यह भी निर्णय लिया है कि अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को सरकारी सेवा के वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु "पैकेज" दिया जायगा ।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि सरकारी सेवकों, जिनके मौजूदा उपनाम से उनकी जाति परिलक्षित होती हो, को यह औप्शन (option) दिया जाय कि वे अपने उपनाम का प्रयोग करना स्वेच्छा से बन्द करें, उन्हें इसके लिए प्रशंसित किया जाय और उक्त प्रशंसा उनके चरित्र-पुस्ति में दर्ज किया जाय ।

3. तत्कालीन नियुक्ति विभाग (वर्तमान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के परिपत्र संख्या-10026 दिनांक 22 अगस्त, 1964 में सरकारी सेवकों के नाम परिवर्तन सम्बन्धी उपबन्ध है और इन उपबंधों के अधीन जो प्रक्रिया निरूपित है, वह लम्बी प्रक्रिया है । इस परिस्थिति में इस परिपत्र के प्रावधानों में संशोधन की गयी ताकि उपनाम का प्रयोग नहीं करने सम्बन्धी स्वेच्छा (option) प्रयोग करने वाले सरकारी सेवकों के लिए सुलभ व्यवस्था की जा सके । अतः यह निर्णय लिया गया है कि :-

(i) ऐसे सरकारी सेवक जो स्वेच्छा से अपने उपनाम का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वे जिस तिथि से अपने विकल्प को कार्यान्वित करना चाहते हैं, उस तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व अपने नियुक्ति पदाधिकारी/अपने प्रशासी विभाग तथा महालेखाकार, बिहार को इसकी लिखित सूचना अवश्य दे देंगे कि वे अमुक तिथि से अपने उपनाम का प्रयोग नहीं करेंगे और उनके उपनाम को हटाये जाने के बाद उनका नाम अमुक होगा ।

(ii) चूंकि यह स्वेच्छा से प्रेरित सरकार के एक नीतिगत निर्णय से सम्बन्धित है, अतएव यह आवश्यक है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपनाम प्रयोग नहीं करने के फलस्वरूप सरकारी सेवक का जो नाम होगा और जिस नाम से वे जाने जायेंगे, उसके सम्बन्ध में एक सूचना बिहार गजट में सरकारी खर्च पर प्रकाशित की जाय, और इस खर्च का वहन तथा राजपत्र में प्रकाशित कराने का दायित्व सरकारी सेवक के नियुक्ति पदाधिकारी/विभाग पर होगा ।

(iii) सरकारी सेवक द्वारा उपर्युक्त लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद नियुक्ति पदाधिकारी/विभाग की यह जिम्मेवारी होगी कि उनके उपनाम हटाने से सम्बन्धित प्रविष्टि उनके सेवा अभिलेखों में कर लें, और इसकी सूचना नियुक्ति पदाधिकारी/विभाग, महालेखाकार, बिहार को भी (केवल राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में) दें ।

(iv) चूंकि नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में नियुक्ति विभाग द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है, अतएव नियुक्ति विभाग के परिपत्र संख्या-10026 दिनांक 22 अगस्त, 1964 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

3. उपर्युक्त कंडिका-2 में निहित निर्णय के अतिरिक्त यह भी निर्णय है कि :-

(क) सभी प्रकार की सरकारी सेवा की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र देने वाले उपनाम का उपयोग नहीं करेंगे । यह बिहार लोक सेवा आयोग, अवर सेवा चयन पर्षद, विद्यालय सेवा बोर्ड, कॉलेज सेवा आयोग, सहकारी संस्थाओं की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति के लिए भी लागू रहेगा । इसके अतिरिक्त जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों के लिए भी लागू रहेगा । सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की नियुक्ति में भी यह व्यवस्था रहेगी ।

(ख) शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्तर पर नामांकन करने वाले छात्रों के लिए यह व्यवस्था किया जाएगा कि नामांकन के लिए आवेदन में उपनाम का उपयोग नहीं होगा । वर्ष 1983-84 के सत्र के लिए सभी कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में यह लागू होगा तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए यह जनवरी 1984 से लागू होगा ।

(ग) इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों तथा इण्टरमेडियट काउन्सील, विद्यालय परीक्षा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड के परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में उपनाम लिखना अगली परीक्षा से समाप्त करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या-4714 का० पटना-15, दिनांक 5 मई, 1983

प्रतिलिपि--अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कर इसकी 2,000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर शीघ्र उपलब्ध करायें ।

ह०/- अशोक कुमार

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या-4714 का० पटना-15, दिनांक 5 मई, 1983

प्रतिलिपि--बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/अवर सेवा चयन पर्षद/बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड/कॉलेज सेवा आयोग, पटना/सभी विश्वविद्यालय/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित ।

ह०/- अशोक कुमार

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या-4714 का० पटना-15, दिनांक 5 मई, 1983

प्रतिलिपि--उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/- अशोक कुमार

सरकार के अपर सचिव

Government of Bihar

Appointment Department

Memo No. III/R-108/64A-10026 Patna, the 22 August, 1964

To,

All Department of Government.

**Sub : Procdure for change of name by Government Servants.**

The undersigned is directed to say that the procedure outlined in paragraph three below may henceforward be followed whenever a Government servant desires to change his name or surname.

2. Under the Defence of India Rules, 1962, republished in the Bihar Gazette along with Law Department Notification No. 2105 dated the 10th November, 1962, any citizen of India who desires to change his name or surname, shall give prior notice of at least one month to the State Government. Rule 34 of the Defence of India Rules reads as follows :—

"Change of name by citizens of India :—

1. For the purpose of this rule :—

(a) The expression "name' shall be construed as including a surname, and

(b) a name shall be deemed to be changed if the spelling thereof is altered.

(2) No citizen of India shall assume or use or purport to assume or use for any purpose any name other than that by which he was ordinarily known immediately before the date of Proclamation of Emergency, unless, at least one month before the day on which he first assumes or uses or purports to assume or use that other names he has given to the State Government a notice specifying :—

(a) his existing name in full and the changes which he proposes to make in it, and

(b) the address of his residence, and has complied with such orders in respect of such notice, including orders for giving public intimation of his intention to change his name as the State Government may give.

(3) If any person contravenes any of the provision of this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.

(4) Nothing in this rule shall apply to the assumption or use

(a) by any married woman of her husband's name;

(b) of any name in consequence of the grant of or succession to, any rank or title;

(c) of any name in such circumstances as may be specified by order of the Central Government or the State Government."

As long as the Defence of India Rules, 1962, continue to be in force, Rule 34 will applicable to Government Servants as well.

3. Apart from this the State Government have been pleased to decide that a Government servant desirous of changing his name (which will include change of surname or change of spelling in the name) should give at least one month's prior notice in writing to his immediate superior officer, intimating the change in the name which he proposes to make. Thereafter, he should execute a deed for changing his name, in the form enclosed. The deed should be attested by atleast two respectable witnesses, preferable those known to the head of the office in which the Government servant is serving. The execution of the deed should be followed by publication of the change of name in a prominent local newspaper and in the case of a Gazetted Officer, by publication in Bihar Gazette as well, the publication being undertaken by the Government servant at his own expense. For the publication of the advertisement in the Bihar Gazette, the Government servant should be directed to contact the Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna. In the case of non-gazetted Government servants, publication of the change of name in the Bihar Gazette will not be necessary. After the formalities mentioned above have been complied with, the adoption of the new name or change in the existing name of the Government servant may be amended accordingly. Attested copies of the relevant documents (the request of the Government servant, the deed, the publication in a local newspaper and the publication in the Gazette) should be retained by the head of the office concerned.

4. In the case of officers belonging to an All India service, the change of name should be published in the Gazette of the Government of India, at the expense of the Government servant, for which he should contact the Manager of Publications, Government of India, Publication Branch, Civil Lines, Delhi.

Encl : Form of deed

By order of the Government of Bihar

Sd/- K. K. Srivastava

Secretary to Government.

Memo No. 10026 Patna, the 22 August, 1964.

Copy with a copy of the enclosure forwarded to :—

All Heads of Department

All Commissioners of Divisions.

All District Officers

Superintendant, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna

Principal, Administrative Training School, Ranchi

for information.

Sd/- K. K. Srivastava

Secretary to Government

Memo No. 10026 Patna, the 22 August, 1964.

Copy forwarded to :—

The Registrar of the High Court of Judicature at Patna,

Secretary to the Bihar Public Service Commission, 15, Bailey Road, Patna

Secretary to the Bihar Legislative Assembly

Secretary to the Bihar Legislative Council.

for information.

Sd/- K. K. Srivastava

Secretary to Government.

## DEED CHANGING NAME/SURNAME

BY THIS DEED I the undersigned..... (new name) of etc. now, lately called (old name) employed as ..... (designation of the post held at the time by the Government servant concerned) at ..... (place where employed under Government) do hereby :—

1. For and on behalf of my self and my wife and children and remet or issue, wholly renounce, relinquish and abondone/the use of the former name/surname of ..... (old name/ surname) and in place thereof do assume from the date hereof the new name/ surname of ..... (new name/ surname) and so that I and my wife and children and remet or issue may hereafter be called, known and distinguished not by my former name/surname of ..... but by my assumed name/ surname of .....

2. For the purpose of evidencing such my determination declare that I shall at all times hereafter in all records, deeds and writings and in all proceedings, dealing and transactions as well privates as public and upon all occasions whatsoever use and sign the name of ..... (new name/surname) as my name/surname in place of and in substitution for my former name/surname of .....

3. Expressly further is, and request all persons at all time hereafter to designate and address me and my wife and children in all matter issue by such assumed name/ surname of .....

IN WITNESS THEREOF I have hereunto subscribe my former and accepted names of ..... (old name) and ..... (new name) and ..... affixed my seal this ..... day of .....

Signed sealed and delivered by the above named ..... (New name) formerly ..... (old name) in the presence of ..... (witness) .....

(Old Name)

(New Name)

**Memo no. OM/M-107/ 58-2083 dated the 25th Feb. 1958** from the Chief Secretary to the Government of Bihar, to all Department of the Secretariat.

**Subject :— Maintenance of summary of facts for disposal of cases.**

Attention is invited to the last sentence of Rule 6.10 of the Secretariat Instructions which lays down that if the subject matter under consideration in files be important and of great length and complexity a clear summary should be prepared with remarks and suggestions, if any, for its disposal. Quite often there are cases in the departments of the Secrertariat relating to individuals, institutions, or transactions which have a complicated history. Every time such cases are put up to higher officers or to Government a history of the case is given in the office notes or in the notes of junior officers. Such respective notes add to the bulk of the files and at times confuse the issues. If in all such cases a single "running summary of facts" is prepared and placed in a separate cover below the regular note sheets it would be possible to avoid repetitive notes of the kind mentioned above. If further factual developments take place with the passing of time the running summary of facts could always be brought uptodate. The undersigned is to suggest that maintenance of a single running summary of facts in all suitable cases in the Departments of the Secretariat should be encouraged.

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/एम०-1-040/80-163 पटना, दिनांक 19-5-81

प्रतिलिपि - सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुनः अग्रसारित ।

2. अनुरोध है कि निर्देशित 'रनिंग समरी ऑफ फैक्टस'' प्रणाली चालू करने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय ताकि किसी संचिका के विचाराधीन मामले की सहज ही जानकारी प्राप्त हो सके और उसे शीघ्रतापूर्वक निष्पादित किया जा सके ।

ह०/- आर० सी० ठाकुर

सरकार के अवर सचिव ।

पत्र संख्या ओ० एम०/एम० -1-040/80-162

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिवालय से संलग्न, सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक-19-5-81

विषय :- परामर्श के हेतु अन्य विभाग में भेजी जानेवाली संचिकाओं में दी जानेवाली टिप्पणियों के स्वरूप के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सचिवालय अनुदेश के नियम 7.5 की ओर ध्यान आकृष्ट करना है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:-

"अनाधिकारिक मामलों में अर्थात फाईल निर्देश करते समय उद्भावक विभाग, संक्षेप में उन बातों को उल्लिखित करेगा जिनपर दूसरे विभाग की राय चाहिए या जिन्हें इस विभाग को दृष्टि में लाना है। दूसरे विभाग को फाइल भेजने से पहले आवश्यकतानुसार मामले का संक्षेप तैयार करना चाहिए। जहां संभव हो वहाँ प्रारूप का रूप दिया जाएगा। एक से दूसरे विभाग को कागजपत्र भेजते समय हर विभाग अपनी नित्य टिप्पणियां हटा लेगा।"

2- इस नियम के अनुपालन नहीं होने के कारण अन्तर्विभागीय संचिकाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। परामर्श हेतु दूसरे विभाग में भेजे जाने वाले मामले साधारण किस्म के नहीं रहा करते हैं। आत्मभरित टिप्पणियों के अभाव में परामर्श का विन्दु स्पष्ट नहीं हो पाता है। फलस्वरूप परामर्श का विन्दु खोजने के लिए पूरी संचिका का अध्ययन करना पड़ता है जिसमें अत्यधिक समय और श्रम की बर्बादी होती है।

वर्णित स्थिति में मुझे अनुरोध करना है कि अन्तर्विभागीय निर्देश की संचिका भेजते समय अधिनियम आदि को इन बातों का संक्षेप में, नियम स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाय जिनपर दूसरे विभाग की राय की अपेक्षा की जानी है। साथ ही दूसरे विभाग को संचिका भेजने से पूर्व आवश्यकतानुसार मामले का संक्षेप तैयार कर दिया जाय । जहां संभव हो वहां प्रस्ताव को प्रारूप का रूप भी दिया जा सकता है ।

विश्वासभाजन,
ह०/- आर० सी० ठाकुर
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-ओ० एम०/एम 1-040/80-380/ओ एम

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति प्र०)

प्रेषक,

मो० यूनूस, सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त-सह-सचिव/सचिवालय से संलग्न सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 15-11-80

**विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में मामले निपटाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सचिवालय अनुदेश के नियम 6:15 में निम्नलिखित प्रावधान है :-

"6:15 – बाद में प्राप्त और प्रेषित कागज-पत्र बढ़ाना–बाद में प्राप्त और प्रेषित कागज-पत्र की संख्या और तारीख तथा उसे भेजनेवाले और पानेवाले के नाम, उस रूप में अलग पत्र पर नहीं, बल्कि टिप्पणी में कालक्रमिक रूप से स्याही से लिखे जायेंगे । फाइल के पत्राचार वाले हिस्से में, प्राप्त या प्रेषित कागज की जो पृष्ठ संख्या दी गयी हो, उसे टिप्पणियों के हाशिए में, ऐसी हर प्रविष्टि के सामने लिख दिया जायेगा । उपर्युक्त नियम से स्पष्ट होगा कि प्राप्त और प्रेषित किसी कागज पत्र की संख्या और तारीख तथा भेजने वाले और पानेवाले का नाम टिप्पणी में कालक्रमिक रूप से स्याही से लिखा जाना है तथा फाइल के पत्राचार वाले हिस्से में प्राप्त या प्रेषित कागज की जो पृष्ठ संख्या दी गयी हो उसे टिप्पणियों के हाशियों में ऐसी हर प्रविष्टि के सामने लिख दिया जाना है । इधर देखने में आ रहा है कि उपर्युक्त नियम का अनुपालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है । फलस्वरूप कार्य सम्पादन अव्यवस्थित होता जा रहा है ।

अतः अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सचिवालय अनुदेश के उपर्युक्त नियम को दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराने की व्यवस्था करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- मो० युनूस

सरकार के विशेष सचिव ।

---

पत्र संख्या ओ० एम०/एम 1-040/80-429 ओ. एम.

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति प्र०)

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर, सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 13 दिसम्बर, 1980 ।

विषय :- सरकारी विभागों में सुधार लाने हेतु पदाधिकारियों द्वारा अपने स्तर से संचिकाओं का प्रारम्भ/निष्पादन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 15-4-80 को सभी सचिव-सह-आयुक्तों की बैठक में इस बिन्दु पर विचार-विमर्श हुआ था एवं यह तय किया गया था कि इस विषय पर पूर्व के परिपत्रों को देखने के पश्चात ही कोई अनुदेश दिया जाएगा।

2. इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०- ओ०एम०/आर०-01/79-75 पटना, दिनांक 16 फरवरी, 1979 के द्वारा अनुदेश सभी विभागों को परिचारित किया गया था । उपरोक्त परिपत्र एवं सचिवालय अनुदेश के सम्बन्धित नियम में कहीं भी उच्च पदाधिकारी द्वारा विषय का निष्पादन अपने स्तर से करने पर कोई रोक नहीं है । वस्तुतः सचिवालय अनुदेश के नियम 6 : 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि उच्च वर्गीय सहायक भारत सरकार से प्राप्त नित्य के या महत्वहीन पत्राचार से भिन्न सभी पत्राचार मिलने पर यथाशीघ्र अवर सचिव के सामने उपस्थापित करेंगे, जो उन्हें अविलम्ब सचिव के सामने रखेंगे । सचिव उन्हें निबटाने की रीति बतायेंगे ।

यदि सचिव चाहें तो वे सम्बन्धित संचिका एवं संदर्भ उपलब्ध कर विषय का निष्पादन अपने स्तर से ही कर सकते हैं । इसके अलावे उस नियम में यह भी प्रावधान है कि यदि राजपत्रित पदाधिकारी कार्यालय को कोई निर्देश किए बिना स्वयं फाइल निपटा दें तो फाइल वापसी में फिर उच्च वर्गीय सहायक के पास जायेगी, जो अपनी पंजी में तदनुसार टिप्पणी लिख देंगे और चर्या-लिपिक को फाइल सुपुर्द कर देंगे । चर्या-लिपिक अन्तर्विभागीय पंजी में

आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद उसे सम्बद्ध विभाग को लौटा देंगे । अर्थात् सचिवालय अनुदेश में ही उच्च पदाधिकारी द्वारा संचिकाओं के निष्पादन किए जाने के बारे में सोचा गया है ।

3. इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि मुहरबन्द लिफाफे में प्राप्त गोपनीय फाइलों के मामलों में आशुलिपिक उनकी सारी गतिविधि के बारे में तबतक अभिलेख रखेंगे, जबतक कि उनकी गतिविधि अन्तर्विभागीय प्रेषण-पंजी में प्रविष्टि न हो जाय।

4. अर्थात् किसी भी उच्च पदाधिकारी द्वारा विषयों के निष्पादन अपने स्तर से किया जा सकता है एवं इस पर कोई बाधा नहीं है । सरकार के लगभग सभी विभागों में वरीय पदाधिकारियों द्वारा विषयों का प्रारंभ एवं निष्पादन किया जाता रहा है और यह पद्धति अभी भी सरकार के मुख्य विभागों में प्रचलित है ।

5. मुख्य बात तो यह है कि पदाधिकारियों द्वारा किस हद तक विषयों के निष्पादन के लिए पहल किया जाता है । अतः विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी द्वारा यह कोशिश की जानी चाहिए कि जितने भी जरूरी एवं अतिआवश्यक कागजात हैं, उनका निष्पादन अपने ही स्तर से यथासंभव कर देना चाहिए ।

विश्वासभाजन,

ह०/- प्रेम प्रसाद नैय्यर

सरकार के मुख्य सचिव, बिहार ।

---

पत्र संख्या-सी. एस. 3/एम 3-1017/80-2800

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल-सचिवालय

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर, सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त-सह-सचिव/सरकार के सभी सचिव/विशेष सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 11 श्रावण 1902 (श०)/2 अगस्त, 1980,

विषय :- संचिकाओं का तीन दिन में निष्पादन ।

महाशय,

यह प्राय: देखा जाता है कि सचिवालय के सभी स्तर में संचिकाओं के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है । इस विलम्ब से कार्य प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, जन मानस में सरकार के प्रति आस्था एवं विश्वास की कमी होती है एवं यदि मामलों में किसी व्यक्ति विशेष या सरकारी सेवक की सेवा से सम्बन्ध रहता है तो उनके मन में रोष एवं असंतोष की भावना फैलती है। भ्रष्टाचार को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है । स्वस्थ एवं चुस्त प्रशासन के लिए शीघ्र कार्य निष्पादन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए । सरकार द्वारा पहले भी ऐसा आदेश दिया गया है एवं पुन: यह आदेश दिया जाता है कि किसी सरकारी पदाधिकारीगण के स्तर पर संचिकाओं का निष्पादन करने में तीस दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । इस सरकारी आदेश का जो भी उल्लंघन करे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय ।

कृपया अपने विभाग के सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा दें और इस आदेश का सख्ती से पालन करें ।

पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,
ह०/- प्रेम प्रसाद नैय्यर
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या- सी० एस० 3/एम 3-1017/80-2800 पटना, दिनांक 2 अगस्त, 1980

प्रतिलिपि--सभी प्रमंडलायुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह०/- प्रेम प्रसाद नैय्यर
सरकार के मुख्य सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

## संकल्प

विषय :- सचिवालय में सहायक सचिव एवं समकक्ष पदों का अवर सचिव के पद में उत्क्रमण ।

तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया था कि सहायत सचिव तथा अवर सचिव के कर्त्तव्यों तथा दायित्वों में बहुत अन्तर नहीं है । साथ ही सहायक सचिव एवं अवर सचिव के कार्यों के वितरण के संबंध में कोई स्पष्ट अनुदेश नहीं है । कुछ ही विभागों में सहायक सचिव के पद उपलब्ध है । अतः जहां कुछ विभाग में निबंधक को सहायक सचिव के पद पर प्रोन्नति दी जाती है, वहां कुछ विभाग में निबंधक को अवर सचिव के रूप में प्रोन्नति दी जाती है । सहायक सचिव का वेतनमान जहां 670-1155 रु. है, वहां अवर सचिव का वेतनमान 890-1415/- रु. है । साथ ही अवर सचिव के पद के साथ 200/- रु. का विशेष वेतन भी जुड़ा हुआ है, जबकि सहायक सचिव के वेतनमान के साथ वैसा कुछ भी विशेष वेतन नहीं है ।

2. सचिवालय के पदाधिकारियों के संघ की ओर से मांग रही है कि सचिवालय के सहायक सचिव तथा समकक्ष पदों का कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर इन सभी पदों को अवर सचिव के वेतनमान (विशेष वेतन सहित) में उत्क्रमित किया जाय ।

3. इस संबंध में विधान सभा में सरकार ने सिद्धान्त रूप से मान लिया है कि सहायक सचिव तथा अवर सचिव के पद का विलयन हो जाय ।

4. उपर्युक्त पर विचार कर सरकार ने निर्णय लिया है कि सचिवालय के सहायक सचिवों एवं समकक्ष पदों के वेतनमान 670-30-910 द. रो.-35-1155/- रु. को अवर सचिव के वेतनमान (890-35-1100-45-1190-द. रो. 45-1415 रु) में प्रोन्नत अवर सचिवों को अनुमान्य 200/- रु. प्रतिमाह विशेष वेतन के साथ उत्क्रमित किया जाय ।

5. इस आदेश के जरिए जिन सरकारी सेवकों का वेतन उत्क्रमण होगा, उनके वेतन का निर्धारण बिहार सेवा संहिता के नियम 78(ए) (1) में निहहत सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित किया जायेगा ।

6. इसका प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा ।

7. इस संकल्प के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से सम्बन्धित पदों को उत्क्रमित किये जाने का आदेश सम्बन्धित विभाग निर्गत कर महालेखाकार को सूचित करेगा तथा आवश्यकतानुसार पदधारकों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना भी निर्गत करेगा जिसके आधार पर महालेखाकार पुनरीक्षित वेतन पुर्जा निर्गत करेंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र में असाधारण अंक में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी सचिव/सचिालय के सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-ए. के. बसाक

आयुक्त एवं सचिव,

ज्ञाप संख्या 1/वि 1-901/78 का.-7254 पटना-15, दिनांक 26 मई, 1980 ।

प्रतिलिपि, वित्त विभाग को सूचना तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचित करने के लिए अग्रसारित ।

ह०/-बी. एन. झा

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या 1/वि 1-901/78 का.-7254 पटना-15, दिनांक 26 मई, 1980 ।

प्रतिलिपि, सरकार के सभी विभाग/सचिवालय के विभागाध्यक्ष/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/-बी. एन. झा

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या 1/वि 1-901/78 का.-7254 पटना-15, दिनांक 26 मई, 1980 ।

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित ।

इसकी 1000 (एक हजार) प्रतियां छापकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

ह०/-बी. एन. झा

सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या का० 4394

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री पी० पी० नैय्यर, सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 11 अप्रैल, 80

विषय :- अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए सुविधाएं ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :-

(i) कर्मचारियों के कुछ सम्वर्गों में उच्चवर्गीय और निम्नवर्गीय वेतनमानों का एकीकरण कर दिया गया है, परन्तु कई सम्वर्गों में ऐसा नहीं किया गया है, अतः सभी सदृश सम्वर्गों के लिए ऐसा एकीकरण कर दिया जाय ।

(ii) कुछ सम्वर्गों के लिए सरकार ने प्रवर कोटि स्वीकृत की है, किन्तु अन्य सम्वर्गों के लिए नहीं । अतः सभी सदृश सम्वर्गों के लिए प्रवर कोटि स्वीकृत की जाय ।

2. राज्य सरकार चाहती है कि सभी विभागों के अधीन सभी सम्वर्गों की स्थिति की समीक्षा कर ही उपर्युक्त दो बिन्दुओं पर अन्तिम निर्णय लिया जाय ।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग के अधीनस्थ सभी सम्वर्गों के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रपत्र में आवश्यक सूचनायें शीघ्रताशीघ्र भेजने की कृपा करें ।

4. कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-पी० पी० नैय्यर

सरकार के मुख्य सचिव ।

प्रपत्र

| सदृश सम्वर्ग जिनके उच्च एवं निम्न वर्ग का एकीकरण नहीं हुआ है । | सम्बन्धित सम्वर्गों के निम्न एवं उच्च पदों का वेतनमान | प्रत्येक निम्न एवं उच्च सम्वर्गों का कुल बल | संबंधित सम्वर्ग जिसमें प्रवर कोटि का पद स्वीकृत नहीं है । |
|---|---|---|---|

**पत्र संख्या 3/एल-4-301/80 का.-4238**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अमिय कुमार बसाक,

**आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना ।**

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8 अप्रैल, 1980

**विषय :- चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की तृतीय वर्ग के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित कई मांगों पर विचार किया है तथा कुछ विनिश्चय किये हैं । किये गये विनिश्चयों में एक विनिश्चय यह भी है कि पहले यह निर्णय हुआ था कि योग्यता प्राप्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिये तरजीह दी जायेगी । इस निर्णय को अभी तक संतोषजनक रूप से लागू नहीं किया गया है । इसे पूरी तरह लागू किया जायेगा । इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय हुआ कि तृतीय वर्ग के कुछ प्रतिशत पद चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए सुरक्षित किये जायेंगे ।

2. कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 20366 दिनांक 11-11-74 की कंडिका-5 में यह प्रावधान है कि अभिलेखवाहों एवं कोषागार सरकार के सभी पद सुपात्र चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से भरे जायें । अभिलेखवाहों एवं कोषागार सरकारों के पद वर्ग-3 के अन्तर्गत आते हैं । अतः अनुरोध है कि कार्मिक विभाग के उपर्युक्त निर्देशित संकल्प के प्रावधान के आलोक में अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अभिलेखवाह एवं ट्रेजरी सरकार के सभी पदों को सुपात्र चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से भी भरने की कृपा करें ।

साथ-साथ यह भी सूचित करने की कृपा करें कि अक्टूबर, 1974 से अभी तक आप के अधीनस्थ कितने अभिलेखवाहों एवं ट्रेजरी सरकार के पदों पर सुपात्र चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है । यह सूचना शीघ्र देने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन

श्री अमिय कुमार बसाक,

आयुक्त एवं सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

## संकल्प

विषय :- सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के तृतीय वर्ग के अराजपत्रित पदों पर की नियुक्ति के लिये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम ।

सरकारी संकल्प संख्या-613, दिनांक 20 जून, 1973 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के तृतीय वर्ग के अराजपत्रित पदों, जैसे निम्नवर्गीय सहायक, आशुलिपिक, टंकक, दिनचर्यालिपिक, अभिलेखवाह पर नियुक्ति के लिये बिहार लोक सेवा अयोग प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा और उनके द्वारा तैयार तथा अनुशंसित सूची से उक्त कोटि के पदों पर नियुक्ति की जायगी । उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति प्रयोजनार्थ लोक सेवा आयोग से प्राप्त पाठ्यक्रम एवं अनुशंसाओं के सम्यक जांच के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा ली जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम रहेंगे :-

**(1) निम्नवर्गीय सहायक**

(क) हिन्दी लेख - 100 अंक

(ख) परीसंक्षेपण (प्रेसीज राइटिंग)- 100 अंक

(ग) सामान्य ज्ञान (सामान्य विज्ञान तथा सामयिक घटनाओं सहित)- 100 अंक

***(क) हिन्दी में लेख***

निम्नवर्गीय सहायक के लिए अपेक्षित योग्यता इन्टरमीडियट पास है, अतः हिन्दी लेख से संबंधित पत्र की परीक्षा का स्तर इन्टरमीडियट होगा ।

***(ख) परिसंक्षेपण (प्रेसीज राइटिंग)***

उम्मीदवारों से आशा की जायगी कि वे अंग्रेजी अथवा हिन्दी खंड का संक्षिप्त लेखन करें। हिन्दी खंड का उत्तर हिन्दी में और अंग्रेजी खंड का उत्तर अंग्रेजी में होना चहिए ।

***(ग) सामान्य ज्ञान (सामान्य विज्ञान तथा सामयिक घटनाओं सहित)***

इस पत्र में भारतीय इतिहास एवं संस्कृत, भूगोल एवं सामयिक घटनाओं (करेंट एफेयर्स) इत्यादि विषयों पर ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर इन्टरमीडिएट परीक्षोत्तीर्ण उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के दे सकने में समर्थ होंगे। इस पत्र में दैनिक संप्रेक्षण और अनुभव के ऐसे पहलुओं पर प्रश्न पूछे जायेंगे जिनकी जानकारी रखने की आशा एक शिक्षित व्यक्ति से किसी शैक्षणिक विषय के बिना विशेष अध्ययन की जा सकतीं है ।

इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के लिये उम्मीदवारों को कम से कम हिन्दी लेखवाले पत्र में 30 प्रतिशत तथा शेष दो पत्रों को मिलाकर कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन

जाति के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये हिन्दी लेखवाले पत्र में 25 प्रतिशत एवं शेष दो पत्रों को मिलाकर कुल पूर्णांक का 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है ।

**( 2 ) आशुलिपिक, प्रथम श्रेणी एवं आशुलिपिक, द्वितीय श्रेणी**

परीक्षा सिर्फ आशुलेखन एवं टंकण में ही ली जायगी जैसा कि सचिवालय अनुदेश में विहित है । इस परीक्षा का मानक (स्टैण्डर्ड) भी वही रहेगा जैसा कि सचिवालय अनुदेश में है ।

**( 3 ) टंकक**

आशुलिपिकों की तरह टंककों की नियुक्ति के लिये भी परीक्षा का स्तर वही रहेगा जैसा कि सचिवालय अनुदेश में है । सफल उम्मीदवारों का अधिमान टंकण के परीक्षाफल पर आधारित रहेगा ।

**( 4 ) दिनचर्यालिपिक**

तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं पर सरकारी निर्णय के अनुसार इस पद पर नियुक्ति निम्नांकित क्रम से होगी :-

(क) 50 प्रतिशत पद पर खुले रूप से सीधी भर्ती द्वारा न्यूनतम योग्यता मैट्रिक

(ख) 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मैट्रिक अभिलेखवाहों और कोषागार सरकारों से ।

(ग) 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नन-मैट्रिक अभिलेखवाहों और कोषागार सरकारों से ।

(I) मैट्रिक के लिये खुले बाजार से सीधी भर्ती एवं सीमित परीक्षा के आधार पर ऊपर "क" और "ख" में निर्देशित, नियुक्ति हेतु निम्न पाठ्यक्रम रहेंगे :-

| | |
|---|---|
| सामान्य हिन्दी | पूर्णांक 100 माध्यमिक परीक्षा बोर्ड के स्तर का |
| (क) निबंध | 30 अंक |
| (ख) पत्र लेखन | 30 अंक |
| (ग) वाक्य विन्यास | 20 अंक |
| (घ) व्याकरण | 20 अंक |

उत्तीर्णांक - 50, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 40

(II) नन-मैट्रिक के लिये :-

| | |
|---|---|
| (क) 200 शब्दों के एक हिन्दी सन्दर्भ का प्रतिलिपिकरण - | 20 अंक |
| (ख) दैनिक और प्रेषण पंजियों में 20 प्रविष्टियां - | 5 अंक |
| (ग) पत्र लेखन - | 30 अंक |
| (घ) किसी हिन्दी संदर्भ का श्रुतिलेखन - | 30 अंक |
| (ङ) अच्छी लिखावट के लिए विशेष श्रेय- | 15 अंक |
| | **कुल - 100 अंक** |

उत्तीर्णांक 50, अनुसूचित/जनजाति के लिए 40 ।

( 5 ) **अभिलेखवाह** :- अभिलेखवाह के संबंध में तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार का निर्णय हो चुका है कि ''अभिलेखवाहों'' और ''कारागार सरकारों'' के सभी पद सुपात्र चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से भरे जायं । अतएव इस पर नियुक्ति के लिये अब न तो आयोग को कोई अनुशंसा करनी है और न परीक्षा ही लेनी है । अस्तु इस पद पर नियुक्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

(2) यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय ।

ह०/-सच्चिदानन्द सिंहा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं.-3/आर 1-303/74 का.-20366 पटना-15, दिनांक 11 अक्तूबर, 1974

प्रतिलिपि-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित ।

ह०/-सच्चिदानन्द सिंहा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं.-3/आर 1-303/74 का.-20366 पटना-15, दिनांक 11 अक्तूबर, 1974

प्रतिलिपि-कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

(2) सचिवालय अनुदेश में यथोचित संशोधन हेतु संगठन एवं पद्धति शाखा के लिये केवल ।

ह०/-सच्चिदानन्द सिंहा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

संख्या 15116

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

11 सितम्बर, 1979

**विषय :- बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में एकरूपता ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 10696 का. वि. दिनांक 23 जून 1979 की कंडिका 2 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि जिस प्रकार वकीलों से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सीधी नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों का वेतन निर्धारण उनके प्रत्येक तीन वर्षों के वकालत के अनुभव के आधार पर एक वेतन वृद्धि देकर किया जाता है, उसी प्रकार अवर-न्यायाधीशों की कोटि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति होने वाले व्यक्तियों को भी उनकी प्रत्येक तीन साल की पूर्व सेवा अवधि के आधार पर एक वेतन वृद्धि देकर उनका वेतन निर्धारण किया जायगा । किन्तु ऐसे प्रोन्नति होने वाले पदाधिकारियों के वेतन निर्धारित करते समय उनके वेतन में वृद्धि के न्यूनतम एवं अधिकतम राशि क्या होगी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था ।

2. उक्त प्रश्न पर राज्य सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया है कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर अवर न्यायाधीश की कोटि से प्रोन्नत पदाधिकारियों के वेतन निर्धारण में उनकी वेतन में वृद्धि की राशि न्यूनतम 200 रु. एवं अधिकतम 300 रु. होगी ।

3. उपर्युक्त निर्णय दिनांक 1 अप्रील 1979 से प्रभावी होगा ।

4. इस निर्णय के अनुसार बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियमावली 1951 के नियम 10 (4) में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से यथा समय संशोधन किया जायगा ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकलप की प्रतिलिपि बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि वित्त विभाग/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति/महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला न्यायाधीश/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- ई० प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

संख्या का/प्र० सु० 2-205/79-106-प्र० सु० ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार) ।

**संकल्प**

5 सितम्बर 1979

विषय- **तदर्थ रूप से किसी विशेष योजना या कार्य के लिये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी पदों पर नियुक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारियों की छटनी के सम्बन्ध में सामान्य सरकारी नीति का निर्धारण ।**

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में विभिन्न विभागों से निर्गत सभी आदेशों/परिपत्रों को अवक्रमित करते हुए राज्य-सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त सरकारी/अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों की छटनी के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिया है:-

(क) विशिष्ट निर्माण योजनाओं या विशिष्ट कार्यों के लिये जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, उनकी सेवा की समाप्ति के बाद उन कर्मचारियों की छटनी कर दी जाय, लेकिन किसी विभाग में छंटनी करते समय वह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसी विभाग के अन्तर्गत किसी अन्य परियोजनास में रिक्ति उपलब्ध है अथवा नहीं और यदि इस प्रकार की रिक्ति उपलब्ध हो, तो छटनी नहीं करके विभागाधीन, अन्य विशिष्ट कार्य या परियोजना में उन कर्मचारियों का सामंजन कर दिया जाय और इस प्रकार परिणामस्वरूप जो कर्मचारी अतिरेक हो जाये, उन्हीं की छटनी की जाये । उदाहरण के लिये, यदि गंडक परियाजना के अन्तर्गत छपरा प्रमंडल में छंटनी की आवश्यकता है और मुजफ्फरपुर प्रमंडल में उसी परियोजना में रिक्ति हो, तो छपरा में छंटनी नहीं करके, सम्बद्ध का सामंजन मुजफ्फरपुर में कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) छटनीग्रस्त कर्मचारियों को भविष्य में सरकारी विभागों/लोक-उद्यमों में रिक्तियों पर नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जाय ।

(ग) लोक-उद्यमों में इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो नियुक्तियां होती है उन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाय । स्वायत्तता (Autonomy) के नाम पर अभी जो नियंत्रण का अभाव है, उसमें सख्ती बरती जाये और छटनीग्रस्त कर्मचारियों की लोक-उद्यमों में होने वाली रिक्तियों में नियुक्त के लिये सरकारी नीति का अनुपालन कराया जाय । इसके लिये यदि आवश्यकता हो तो विभिन्न उपक्रमों के

Articles of Association तथा Bye–laws में संशोधन भी किया जाय । लोक-उद्यम प्रतिष्ठान (Bureau of Public Enterprise) के द्वारा इन उद्यमों में नियुक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाये ताकि आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों की बहाली न होने पाये ।

(घ) सभी संबंधित कार्यालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बनायी जाय, जो कि अतिरेक घोषित किये गये हों और छांटे जाने वाले हों या वास्तविक रूप से छांटे जा चुके हों । छांटे गये कर्मचारी उन्हें ही माना जायगा, जो किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी पद पर कम-से-कम छः माह तक लगातार नियुक्त रहे हों और जो मितव्ययिता/कार्य-समापन/स्वीकृति की समाप्ति के कारण दिनांक 1 मार्च, 1967 को या उसके बाद सेवा से मुक्त किये गये हों । इस सूची को विभिन्न कार्यों के लिये वर्गीकृत किया जाय और इन व्यक्तियों को नियोजन दिलाने के लिये एक विशेष कोषांग सरकार द्वारा स्थापित किया जाय । वह कोषांग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत कायम किया जाय और प्रत्येक नियुक्ति में उस कोषांग के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा जाय, ताकि छंटनीग्रस्त लोगों के सामंजन के सम्बन्ध में विशेष प्रयास हो । छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की उक्त सूची श्रम एवं नियोजन विभाग के माध्यम से सभी जिला नियोजनालयों को उपलब्ध करायी जाय तथा उसकी प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के छटनी कोषांग को भी उपलब्ध करायी जाय। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अपनायी गयी अतिरेक समुच्च योजना (Surplus Pool Scheme) का प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

(च) सरकारी विभागों/कार्यालयों/परियोजनाओं/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सेवारत पदाधिकारियों/कर्मचारियों की अलग-अलग सांख्यिक विवरणी निम्नांकित वर्गीकरण के आधार पर तैयार की जाय :-

(1) स्थायी ; (2) अस्थायी ; (3) आकस्मिक ; (4) अन्य ।

(वित्त विभाग यह विवरणी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराये और इसमें निदेशक, सांख्यिकी विभाग की भी सहायता ली जाय ।)

(छ) जिस सेक्टर के कर्मचारियों की छटनी की जाय, छटनीग्रस्त कर्मचारियों का सामंजन सामान्यतः उन्हीं सेक्टर की परियोजना में किया जाय । उदाहरणार्थ, परियोजनाओं से छंटनी किये गये कर्मचारियों का सामंजन उसी निर्माण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के अधीन किया जाय । दूसरे शब्दों में, वर्क्स विभागों के छटनीग्रस्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति सरकार के अन्य विभागों में न कर, केवल वर्क्स विभागों में तथा लोक उद्यम प्रतिष्ठानों के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति लोक उद्यम प्रतिष्ठानों में ही की जाय ।

(ज) एकबारगी किन्हीं आकस्मिक मजदूरों का नियोजन 30 दिनों से अधिक के लिये नहीं किया जाय तथा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य अभियंता की पूर्व अनुमति से नियोजन की अवधि को बढ़ा कर 90 दिनों तक की जा सकती है । यह अवधि किसी भी हालत में 90 दिनों से नहीं बढ़ायी जाये । यदि किसी

कारण से उन्हीं मजदूरों के नियोजन की पुनः जरूरत हुई, तो वैसी परिस्थिति में उनके अन्तिम कार्यदिवस एवं पुनर्नियोजन के बीच कम-से-कम 90 दिनों की टूट होनी चाहिये ।

(झ) सरकार के आदेश प्राप्त किये बिना परियोजनाओं के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा कर्मचारियों के स्वीकृत बल में वृद्धि नहीं की जाय । विशेष परिस्थिति में अधिक-से-अधिक 5 प्रतिशत वृद्धि करने की छूट दी जाय।

(ट) परियोजना/लोक उद्यमों के नियुक्ति पदाधिकारी जबतक पूर्णतः सन्तुष्ट न हो जायें, तब तक कोई नयी नियुक्ति न करे, क्योंकि कर्मचारियों के अतिरेक होने की जिम्मेवारी उन्हीं की होगी ।

(ठ) सभी परियोजनाओं/औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, नियुक्ति, प्रोन्नति आदि सम्बन्धी सामान्य नियम तैयार कर, सभी प्रतिष्ठानों पर समरूप से लागू किये जायें, जिससे कि उनके कार्यान्वयन में एकरूपता बरती जाय। इन नियमों को लागू करने के पहले सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाय । इसके लिये लोक उद्यम प्रतिष्ठान (ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज) द्वारा मार्ग-दर्शन निर्गत किये जाय ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के एक असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को भेजी जाय, जो अपने-अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों/लोक उद्यमों/स्वशासी निकायों/कार्यालय-प्रधानों को इससे अवगत करायें ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-के० एम० रामासुब्रह्मण्यम,
सरकार के मुख्य सचिव ।

---

**पत्रांक 10 परी.-1706/78 का.-909**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री ईश्वरी प्रसाद,

सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/

सभी प्रमण्डलायुक्त एवं मुख्य वन संरक्षक, राँची, बिहार ।

पटना-15, दिनांक 29 जुलाई, 1978

**विषय :- सहायक के पदों पर की गई अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 907, दिनांक 8-6-76 के प्रसंग में मुझे कहना है कि संकल्प के द्वारा सरकार का यह निर्णय घोषित किया गया था कि निम्नवर्गीय सहायक के पद पर बिना विहित परीक्षा में उत्तीर्ण किसी व्यक्ति की सीधी नियुक्ति दिनांक 2-3-76 से नहीं की जाय तथा इसे कड़ाई के साथ पालन किया जाय । साथ ही सरकार का यह भी निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि किसी विभाग द्वारा 2-3-76 के बाद इस तरह की अनियमित नियुक्ति की गई तो कार्मिक विभाग इस आदेश का उल्लंघन करने के जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करे ।

इन स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद भी कुछ विभागों/कार्यालयों के सम्बन्ध में सरकार को ऐसी शिकायतें यदा-कदा प्राप्त हो रही हैं कि सहायक के पद पर अनियमित नियुक्तियां अभी भी की जा रही हैं एवं इस प्रकार उक्त सरकारी निर्णय की अवहेलना धड़ल्ले के सथ हो रही है । इस विन्दु पर भली-भांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने पुनः निर्णय लिया है कि सभी विभागीय प्रधान से अनुरोध किया जाय कि वे अपने विभाग/कार्यालय में इसकी छानबीन कर देखें कि कार्मिक विभाग के उक्त संकल्प में निहित अनुदेशों की अवहेलना कर क्या किसी गैर-परीक्षोत्तीर्ण व्यक्ति की नियुक्ति सहायक के पद पर 2-3-76 के बाद से की गई है और अगर की गई है, तो वे कृपया उन अनियमित

नियुक्तियों को अविलम्ब रद्द कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को उसकी सूचना तत्काल दें तथा जो लोग उक्त अनियमित नियुक्ति के लिए जिम्मेवार हों उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को अविलम्ब उपलब्ध कराएं ताकि उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कारवाई की जा सके ।

अत: अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय के आलोक में कृपया अविलम्ब कार्रवाई कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को वस्तुस्थिति से तुरंत अवगत कराएँ ।

विश्वासभाजन

ह०/-ईश्वरी प्रसाद

सरकार के प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 8 जून, 1976 ।

विषय :- सरकारी सेवकों की गैर-वित्तीय मांगों के संबंध में मंत्रिपरिषद् की स्थायी समिति की अनुशंसा पर सरकारी निर्णय ।

दिनांक 20.8.1974 की बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अराजपत्रित कर्मचारियों की गैर-वित्तीय मांगों पर विचार करने हेतु श्री फूलचन्द सिंह, तत्कालीन अपर सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसनें अपना प्रतिवेदन दिनांक 23-9-1975 को दिया । उक्त समिति के प्रतिवेदन पर मंत्रिपरिषद् की स्थायी समिति ने विचार कर, अपनी अनुशंसाएँ सरकर को दी । सरकार ने मंत्रिपरिषद की स्थायी समिति की अनुशंसाओं पर दिनांक 25-5-1976 को मंत्रिमंडल को बैठक में विचार कर निम्नांकित निर्णय लिया है :-

2. सर्वे सेटलमेंट और चकबन्दी योजनाओं में नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-450, दिनांक 2-6-1973 एवं परिपत्र संख्या-1408, दिनांक 13-6-1974 का लाभ देते हुए उक्त योजनाओं में 10 वर्षों तक लगातार कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाय और एक जिला में सर्वे-सेट्लमेंट और चकबन्दी का कार्य समाप्त होने पर बिना सेवा भंग किये दूसरे जिला में चलने वाले सर्वे-सेट्लमेंट/चकबन्दी योजना में कर्मचारियों को हस्तान्तरित कर दिया जाय । इस हेतु सर्वे-सेट्लमेंट और चकबन्दी के कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवायें 10 वर्षों की या उससे अधिक को हो चुकी है, एक निश्चित संख्या में स्थायी पद केन्द्रीय रूप से, निदेशालय स्तर पर ही सृजित किये जायं । इसी प्रकार जितनी संख्या में अस्थायी पद को रखने की आवश्यकता हो, निदेशालय स्तर पर ही सृजित किये जायं ताकि उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में भेजने में कठिनाई न हो और उनकी वरीयता की सूची भी एक स्थान पर रहे ।

3. (क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के ऐसे अस्थायी निम्नवर्गीय सहायकों को जो दिनचर्यालिपिक या समकक्ष पदों से उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त हुए हैं, और सरकार द्वारा परिभाषित छटनीग्रस्त कर्मचारियों में से नियुक्त हुए हैं, नियुक्ति की तिथि से तीन साल की अवधि के बाद परीक्ष्यमान घोषित किये जायँ और इनकी वरीयता निर्धारण के लिए कोई उपयुक्त सिद्धान्त कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय । चूँकि सचिवालय अनुदेश के उपबंध (अध्याय 2) के नियम-9 (2) (क) के अनुसार बिना विहित परीक्षा पास किये निम्नवर्गीय सहायक के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की जानी है इसलिए इन्हें परीक्ष्यमान घोषित करने हेतु उक्त नियम को शिथिल माना जाय । इसी प्रकार अक्षमता के आधार पर खुले बाजार से सीधे नियुक्ति वाले सहायकों के संबंध में भी यही निर्णय लिया गया कि

जब वे कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा पास कर लें, तो उन्हें नियुक्ति की तिथि से तीन साल की अवधि के बाद परीक्ष्यमान घोषित किया जाय । इस तरह की विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें दो अवसर दिये जायं ।

(ख) निम्नवर्गीय सहायक के पद पर बिना विहित परीक्षा में उत्तीर्ण किसी व्यक्ति की सीधी नियुक्ति दिनांक 2-3-1976 से नहीं की जाय, तथा इसे कड़ाई के साथ पालन किया जाय । यदि किसी विभाग द्वारा 2-3-1976 (जिस दिन मंत्रिपरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया) के बाद इस तरह की नियुक्ति की गई, तो कार्मिक विभाग इस आदेश का उल्लंघन करने के जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करें ।

(ग) जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का सुरक्षित कोटा पूरा नहीं हो, वहाँ कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त गैर-परीक्षोत्तीर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति भी की जा सकती है।

(घ) इसी क्रम में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि विशेष योजनाएं और परियोजनाएं यद्यपि अस्थायी हो सकती हैं, लेकिन जो विभाग काफी दिनों से अस्तित्व में है, उन्हें स्थायी किया जाय ।

4. वांछित योग्यता धारक चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को आगे के पदों पर प्रोन्नति देने संबंधी पूर्व निर्गत आदेशों का विभागों द्वारा सख्ती से पालन किया जाय ।

5. कलक्टरी तथा सिविल कोर्ट में टाईपिस्टों (जो प्राईवेट तौर पर काम करते हैं) को आयु सीमा में छूट दी जाय ताकि उक्त कार्यालयों में टाईपिस्ट के पद पर नियुक्ति के परीक्षण में वे शामिल हो सकें । आयु सीमा में कितनी छूट दी जाय, इस विषय की जाँचकर कार्मिक विभाग आवश्यक निर्णय लें ।

6. दुर्गापूजा की छुट्टी दो दिन और बढ़ा दी जाय तथा हजरत मुहम्मद के जन्म दिन (फातेहा-द्वाज-दहु) को प्रतिबंधित [illegible] नहीं घोषित कर, सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाय एवं अन्य प्रतिबंधित छुट्टियाँ, जो सम्प्रदाय विशेष के लिए [illegible] जाती हैं, उन्हें भी सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाय ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के एक विशेषांक में सूचनार्थ प्रकाशित कराई जाय, तथा इसकी प्रतिलिपि सभी विभागों तथा विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं परिचारण [illegible] जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी [illegible] प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य वन संरक्षक, रांची एवं सभी जिला [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-सी.आर. वेंकटरामन,

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/परी.-1022/75 का.-906 पटना-15, दिनांक 8 जून, 1976 ।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य वन संरक्षक, रांची/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. राजस्व विभाग से अनुरोध है कि सर्वे-सेट्लमेंट एवं चकबन्दी योजनाओं में नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-2 में जो सरकार का निर्णय हुआ है, उसके अनुसार ठोस प्रस्ताव उपस्थापित कर कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करें ।

3. विधि विभाग से अनुरोध है कि उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-5 में जो सरकार का निर्णय हुआ है, उसके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर, कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करें ।

4. कार्मिक विभाग (प्रशाखा-3) उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-6 में व्यक्त सरकारी निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करें ।

ह०/- रामचन्द्र घोषाल
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/परी.-1022/75 का.-906 पटना-15, दिनांक 8 जून, 1976 ।

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के एक विशेषांक में उक्त संकलप को तुरन्त प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित ।

2. संबंधित राजपत्र के विशेषांक की एक हजार प्रतियाँ कार्मिक विभाग (परीक्षा शाखा) को निश्चित रूप से भेजी जाय ।

ह०/- रामचन्द्र घोषाल
सरकार के उप सचिव ।

**IN THE SUPREME COURT OF INDIA**

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

**WRIT PETITION (CIVIL) No. 79 OF 1979**

R. K. Sabharwal and ors ..... ..... Petitioners

Versus

State of Punjab and ors. ..... Respondents

**JUDGMENT**

The Petitioners and Respondents 4, 5 and 6 the members of the Punjab Service of Engineers (Class I) (the Service) in the Irrigation Department of the State of Punjab. The respondents are members of the Scheduled Castes whereas the petitioners belong to the general category. The conditions of Service of the members of the Service are governed by the Rules called The Punjab Service of Engineers Class I P.W.D. (I.B.) Rules 1984 (the Rules). The Punjab Government by the instructions dated May 4, 1974 provided reservations for the Scheduled Castes and Backward Classes in promotions to and within Class I and II Services under the State Government. It was laid down under the said instructions that 16 per cent of the posts to be filled by promotion were to be reserved for member of the Scheduled Castes and Backward Classes (14 percent for the Scheduled Caste and 2 percent for the Backward Classes) subject to the conditions that the persons to be considered must possess the minimum necessary qualifications and they should have satisfactory record of Service. The instructions further provided as under :

> "(i) In a lot of 100 vacancies occuring from time to time those falling at serial numbers mentioned below should be treated as reserved for the members of Scheduled Castes : 1, 7, 15, 22, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 80, 87, 91 and so on. Vacancies falling at serial numbers 26 and 76 should be treated as reserved for the members of Backward Classes.

(ii) The reservation prescribed shall be given effect to in accordance with a roster to be maintained in each Department. The roster will be implemented in the form of a running account from year to year".

Rule 9 of the Rules which provides for promotion within the Service reads as under :

"Promotion within service :- (1) Subject to the provisions of sub-rules 2 and 3 members of the Service shall be eligible for promotion to any of the posts in the service, namely, Executive Engineers, Superintending Engineers and Chief Engineers :

Provided that a Member of the Service in whose case the qualifications mentioned in clause (a) of Rule 6 have been waived, shall not be eligible for promotion to the post of Superintending Engineer of above till he has acquired the necessary qualification.

Explanation :- Once an officer has been appointed a member of the Service, his promotion within it from one rank to another shall be regarded as promotion within the same Cadre.

(2) Promotions shall be made by selection on the basis of merit and suitability in all respects and no member of the Service shall have any claim to such promotion as a matter of right or mere seniority.

(3) A member of the Service shall not be eligible for promotion to the rank of —

(a) Executive Engineer unless he has randered five years service as an Assistant Executive Engineer:

Provided that an officer who has rendered six years of more service as an Assistant Executive Engineer shall unless he is considered unsuitable for pormotion, be given preference for such promotion over an eligible Class II officer:

(b) Superintending Enginneer, unless he has rendered seven years service as an Executive Engineer :

(c) Chief Engineer, unless he has rendered three years service as Superintending Engineer:

Provided that, if it appears to be necessary to promote an officer in public interest, the Government may, for reasons to be recorded in writing, either generally for a specified period or in any individual case reduce the period specified in clauses (a), (b) and (c) to such extent as it may deem proper."

It is stated in the writ petition that the petitioners are at serial Nos. 19, 23, 26, 29, 30, 31, 34 and 38 of the seniority list of the service, whereas the respondents are at serial Nos. 46, 140 and 152. Respondent Rattah Singh was promoted to the rank of Chief Engineer against the 6 post reserved for the Scheduled Castes by superseding 36 senior colleagues including the petitioners. Similarly, respondents Surgit Singh and Om Prakash were promoted as Superintending Engineers against the reserve vacancels by superseding 82 and 87 senior colleagues respectively. According to the petitioners at the time of promotion of these respondents the petitioners were already working as Superintending Engineers.

for serveral years. It is further averred in the petition that respondents 4, 5 and 6 were in fact working as Executive Engineers when the petitioners were holding the posts of Superintending Engineers..

On the above facts the petitioners have challenged the reservation-policy on several grounds but Mr. Harish Salve, learned counsel for the petitioners, has confined the arguments to the following two points :

(1) The object of reservation is to provide adquate representation to the Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes in Services and as such any mechanism provided to achieve that end must have nexus to the object sought to be achieved. The precise argument is that for working out the percentage of reservation the promotees/appointees belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes whether appointed against the general category posts or against the reserve posts are to be counted. In other words if more than 14% of the Scheduled Castes candidates are appointed/promoted in a cadre on their own merit/seniority by competing with the general category candidates then the purpose of reservation in the said cadre having been achieved the Government instructions providing reservations would become inoperative.

2. Once the posts earmarked for the Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes on the roster are filled the reservation is complete. Roster cannot operate any further and it should be stopped. Any post falling vacant, in a cadre thereafter, is to be filled from category-reserve or general-due to retirement etc. of whose member the post fell vacant.

Adverting to the first point Mr. Harish Salve and Mr. Rajiv Dhawan, learned counsel representing the Petitioners, have contended that the total number of promotees/appointees belonging to the reserve categories in a cadre are to be counted to work out the prescribed percentage of reservation. According to the learned Counsel the reserve categories can take advantage of the reservation made in their favour till their representation in the Service-including those appointed against general category posts-reaches the prescribed percentage. For working out the percentage the promotees/appointees belonging to reserve categories in the Service, whether on the reserve posts of general category posts, are to be counted, support is sought from the judgement of the Punjab and Haryana High Court

in Joginder Singh Sethi and others Vs. Punjab Government and others 1982 (2) S.L.R. 307. In the said Case 22% reservation was provided for the members of Scheduled Castes/ Tribes and Backward Classes, In the cadre strength of 202 posts the Scheduled Castes candidates were entitled to 42 posts. There were already 47 members of the said category in the cadre but out of them 10 were promoted on the basis of seniority-cum-merit against the general catgegory posts. There being only 37 persons who had been promoted against the reserved posts 4 more Scheduled Castes were sought to be promoted against the raserve vacancies. The High Court quashed the promotion on the ground that the cadre was already having more than 22% persons from the reserve categories. We are of the view that the High Court in Joginder Singh Sethi's case fell into a patent error. The said case was subsequently considered by a Full Bench of Punjab & Haryana High Court in Jaswant Singh Vs. Secretary to Government of Punjab, Education Department (1989 (4) Services Law Reporter 257). The Full Bench did not agree with the ratio in Joginder Singh Sethi's case and reversed the same.

When a percentage of reservation is fixed in respect of a particular cadre and the roster indicates the reserve points, it has to be taken the posts shown at the reserve points are to be filled from amongst the members of reserve categories and the candidats belonging to the general category are not entitled to be considered for the reserve posts. On the other hand the reserve category candidates can compete for the non-reserve posts and in the event of their appointment to the said posts their number cannot be added and taken into consideration for working out the percentage of reservation. Article 16(4) of the Constitution of India permits the State Government to make any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizen which, in the opinion of the State is not adequately represented in the Services under the State. It is, therefore, incumbent on the State Government to reach a conclusion that the backward class/classes for which the reservation is made is not adequately represented in the State Services, while doing so the State Government may take the total population of a particular backward class and its representation in the State Services. When the State Governent after doing the necessary exercise make the reservation and provides the extent of percentage of posts to be reserved for the said backward class then the percentage has

to be followed strictly. The prescribed percentage cannot be varied or changed simply because some of the members of the backward class have already been appointed/ promoted against the general posts. As mentioned above the roster point which is reserved for a backward class has to be filled by way of appointment/promotion of the member of the said class. No general category candidate can be appointed against a slot in the roster which is reserved for the backward class. The fact that considerable number of members of a backward class have been appointed/promoted against general seates in the State Services may be a relevant factor for the State Government to review the question of continuing reservation for the said class but so long as the instructions/Rules providing certain percentage of reservations for the backward classes are operative the same have to be followed. Despite any number of appointees/promotees belonging to the backward classes against the general category posts the given percentage has to be provided in addition. We, therefore, see no force in the first contention raised by the learned counsel and reject the same.

We see considerable force in the second contention raised by the learned counsel for the petitioners. The reservations provided under the impugned Government instructions are to be operated in accordance with the roster to be maintained in each Department. The roster is implemented in the form of running account from year to year. The purpose of "running account" is to make sure that the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Backward Classes get their percentage of reserved posts. The concept of "running account" in the impugned instructions has to be so interpreted that it does not result in excessive reservation. "16% of the posts....." are reserved for members of the Scheduled Caste and Backward Classes. In a lot of 100 posts those falling at serial number 1/7/15/27/30/37/44/ 51/58/65/72/80/87 and 91 have been reserved and earmarked in the roster for the Scheduled Castes. Roster points 26 and 76 are reserved for the members of Backward Classes, It is thus obvious that when recruitment to a cadre starts then 14 posts earmarked in the roster are to be filled from amongst the members of the Scheduled Caste. To illustrate, first post in a cadre must go to the Scheduled Caste and thereafter the said class is entitled to 7th, 15th, 22nd and onwards upto 91st post, when the total number of post in a cadre are filled by the operation of the roster then the result envisaged by the impugned instructions is achieved. In other words in cadre of 100 posts when the posts earmarked in

the roster for the Scheduled Castes and the Backward Classes are filled the percentage of reservation provided for the reserved categories is achieved. We see no justification to operate the roster thereafter. The "running account" is to operate only till the quota provided under the impugned instructions is reached and not thereafter. Once the prescribed percentage of posts is filled the numerical test of adequacy is satisfied and thereafter the roster does not survive. The percentage of reservation is the desired representation of the Backward Classes in the State Services and is consistent with the demographic estimate based on the proportion worked out in relation to their population. The numerical quota of posts is not a chifting boundary but represents a figure with due application of mind. Therefore, the only way to assure equality of opportunity to the Backward Classes and the general category is to permit the roster to operate till the time the respective appointees/ promotees accupy the posts meant for them in the roster. The operation of the roster and the "running account" must come to an end thereafter. The vacancies arising in the cadre, after the initial posts are filled, will pose no difficulty. As and when there is a vacancy whether permanent or temporary in a particular post the same has to be filled from amongst the category to which the post belonged in the roster. For example the Scheduled Caste persons holding the posts at Roster-points 1,7, 15 retire then these slots are to be filled from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes. Similarly, if the persons holding the post at points 8 to 14 or 23 to 29 retire then these slots are to be filled from among the general category. By following this procedure there shall neither be short-fall nor excess in the percentage of reservation.

The expressions "posts" and "vacancies' often used in the executive instructions providing for reservations, are rather problematical. The word "post" means an appointment, job, office or employment, a position to which a person is appointed. "Vacancy" means an unoccupied post or office. The plain meaning of the two expressions make it clear that there must be a 'post' in existence to enable the 'vacancy' to occur. The cadre-strength is always measured by the number of posts comprising the cadre. Right to be considered for appointment can only be claimed in respect of a post in a cadre. As a consequence the precentage of reservation has to be worked out in relation to the number of posts which form the cadre-strength. The concept of 'vacancy' has no relevance in operating the percentage of reservation.

When all the roster-points in a cadre are filled the required percentage of reservation is achieved. Once the total cadre has full representation of the Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes in accordance with the reservation policy then the vacancies arising thereafter in the cadre are to be filled from amongst the category of persons to whom the respective vacancies belong. Jeevan Reddy, J. speaking for the majority in Indira Sawhney vs. Union of India (AIR 1993 SC 477) observed as under :-

> "Take a unit/Service/Cadre comprising 1000 posts. The reservation in favour of Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Classes is 50% which means that out of the 1000 posts 500 must be held by the members of those classes i.e. 270 by Other Backward classes, 150 by Scheduled Castes and so by Scheduled Tribes. At a given point of time, let us say the number of members of OBCs in the unit/Service/ Category is only 50, a shortfall of 220. Similarly the number of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is only 20 and 5 respectively, shortfall of 130 and 75. If the entire service/cadre is taken as a unit and the backlog is sought to be made up then the open competition channel has to be cheked al together for a number of years until the number of members of all backward classes reaches 500 i.e., till the quota meant for each of them is filled up. This may take quite a number of years because the number of vacancies arising each year are not many. Meanwhile, the members of open competition category would become age barred and ineligible. Equality of opportunity in

their case would become a mere mirage. It must be remembered that the equality of opportunity guaranteed by clause (1) is to reach individual citizen of the country while clause (4) contemplates special provision being made in favour of socially disadvantaged classes. Both must be balanced against each other. Neither should be allowed to eclipse the other. For the above reason, we hold that for the purpose of applying the rule of 50% a year should be taken as the unit and not the entire strength of the cadre, Service or the unit as the case may be."

The quoted observations clearly illustrate that the rule of 50% a year as a unit and not the entire strength of the cadre has been adopted to protect the rights of the general category under clause (1) of Article 16 of the Constitution of India. These observations in Indra Sawhney's case are only in relation to posts which are filled initially in a cadre. The operation of a roster, for filling the cadre strength, by itself ensures that the reservation remains within the $5^1/_2$% limit. Indira Sawhney's case is not the authority for the point that the roster survives after the cadre-strength is full and the percentage of reservation is achieved.

A Division Bench of the Allahabad High Court in J. C. Malik and others vs. Union of India and others (1978 (1) SLR 844) interpreted Railway Board's circular dated April 20, 1970 providing 15% reservations for the Scheduled Castes. The High Court held that the percentage of reservation is in respect of the appointment to the posts in a cadre. On the basis of the material placed before the High Court it reached the conclusion that if the reservation is permitted in the vacancies after all the posts in a cadre are filled then serious consequences would ensue and the general category is likely to suffer considerably, we see no infirmity in the view taken by the High Court.

We may examine the likely result if the roster is permitted to operate in respect of the vacancies arising after the total posts in a cadre are filled in a 100 point roster, 14 posts

at various roster-points are filled from amongst the Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates, 2 posts are filled from amongst the Backward Classes and the remaining 84 posts are filled from amongst the general category. Suppose all the posts in a cadre consisting of 100 posts are filled in accordance with the roster by December 31, 1994. Thereafter in the year 1995, 25 general category persons (out of the 84) retire. Again in the year 1996, 25 more persons belonging to the general category retire. The position which would emerge would be that the Scheduled Castes and Backward Classes would claim 16% share out of the 50% vacancies. If 8 vacancies are given to them then in the cadre of 100 posts the reserve categories would be holding 24 post thereby increasing the reservation from 16% to 24%. On the contrary if the roster is permitted to operate till the total posts in a cadre are filled and thereafter the vacancies falling in the cadre are to be filled by the same category of persons whose retirement has caused the vacancies then the balance between the reserve category and the general category shall always be maintained. We make it clear that in the event of non-availability of a reserve candidate at the roster-point it would be open to the State Government to carry forward the point in a just and fair manner.

We, therefore, find considerable force in the second point raised by the learned counsel for the petitioners. We, however, direct that the interpretation given by us to the working of the roster and our findings on this point shall be operative prospectively.

The writ petition is, therefore, disposed of in the above terms No costs.

.....

(KULDIP SINGH)

.....

(S. MOHAN)

.....

(M. K. MUKHERJEE)

.....

(B. L. HANSARIA)

.....

(S. B. MAJUMDAR)

New Delhi,

February 18, 1995

संख्या - 3/आर 1-3019/80-891

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

दिनांक 22.1.82

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी विशेष सचिव/सरकार के सभी अपर सचिव सरकार के सभी विभागाध्यक्ष ।

**विषय :- कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि ऐसा पाया जाता है कि निर्माण विभागों में यह आम परिपाटी हो चली है कि सर्वप्रथम कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और बाद में उनकी ओर से संघीय दबाव पड़ने के कारण अथवा मानवीय आधार पर उनकी सेवा नियमित कर दी जाती है । अनुभव के आधार पर यह देखा जा रहा है कि साधारणत: नियुक्ति पदाधिकारी अपने गांव/क्षेत्र के लोगों को सभी सरकारी नियमों का उल्लंघन कर पहले तो कार्यभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर देते हैं और बाद में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया जाता है । खासकर, ऐसा देखा जा रहा है कि छोटानागपुर एवं संथालपरगना में विभिन्न कार्यालयों में स्थानीय लोगों की उपेक्षा कर, उत्तरी बिहार एवं केन्द्रीय बिहार के लोगों को कार्यभारित दैनिक भा। कर्मचारी के रूप में बहाल कर लिया जाता है । नतीजा यह है कि संबंधित क्षेत्र के निवासियों में क्षोभ और व्यथा की भावना फैल जाती है । एक बार कार्यभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त होकर, संघीय दबाव डालकर, श्रमिक अधिनियम का हवाला देकर और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाता है ।

2. इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है और इस संदर्भ में सरकार का यह निर्णय हुआ है कि प्रथम तो कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति ही नहीं की जाए और यदि बहुत ही विशेष परिस्थिति में अल्प समय के लिए लोकहित में आवश्यकता भी हो तो उनपर नियुक्ति हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जाय जो उस वर्ग के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित है ताकि इस माध्यम से न केवल स्थानीय लोगों को इन नियुक्तियों का लाभ मिले बल्कि जिलों के लिये निर्धारित आरक्षण कोटा का भी दृढ़ता से पालन किया जा सके ।

3. अनुरोध है कि पिछले रास्ते से अनियमित नियुक्ति की जो प्रवृतियां हैं उसपर गहरी रोक लगायी जाय और कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति में वर्ग-3 और 4 के पदों पर नियुक्ति का जो सिद्धान्त एवं प्रक्रिया मुख्य सचिव के दिसम्बर, 1980 के परिपत्रों में निरूपित है उनका कड़ाई से पालन कराया जाय । साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विभिन्न जिलों के लिये आरक्षण का जो कोटा निर्धारित है उसे पूरा करने में किसी प्रकार की ढ़ील नहीं बरती जाय । इस प्रकार के निदेश पहले भी दिये गये हैं । अत: जो सरकारी सेवक इसका उल्लंघन करेंगे, उनपर सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी ।

कृपया इन निदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अविलम्ब अवगत करा दें और पत्र प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन,
ह०/-पी०पी० नैय्यर
सरकार के मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।